सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु
विचार-विमर्श संबंधी दस्तावेज़ का तथ्य-पत्र

मुख्य संदेश

- हर किसी को अपने स्वयं के जीवन के बारे में विकल्प लेने का अधिकार होता है
- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सरकार ऐसे कानून बनाना चाहती है जो कुछ वयस्कों को ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन का अंत समय से पहले करने के लिए चिकित्सीय सहायता की माँग करने की अनुमति दें जहाँ वे पहले से ही जीवन के अंत के समीप हों और बुरी तरह से पीड़ा का सामना कर रहे हों
- ये कानून बहुत कड़े होंगे
- विशेषज्ञों का एक समूह सरकार को यह फैसला लेने में सहायता कर रहा है कि कानून कैसे काम कर सकते हैं
- अब आपसे इस संबंध में आपके विचार और सुझाव पूछे जा रहे हैं

सहायता-प्राप्त इच्छामृत्यु क्या होती है?

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का अर्थ है कि कुछ वयस्क उस परिस्थिति में अपने जीवन का अंत करने के लिए चिकित्सीय सहायता की माँग कर सकते हैं यदि उन्हें कोई ऐसा रोग या बीमारी हो जो इतनी गंभीर हो कि उससे उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो और वे बुरी तरह पीड़ा का सामना कर रहे हों।

इससे किसे सहायता मिल सकती है?

यदि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कानून बनाए जाते हैं तो यह उम्मीद की जाती है कि इससे उन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सहायता मिल सकती है जिनकी आयु कम से कम 18 साल हो और जो अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम हों। यह ज़रूरी है कि वे किसी के दबाव के बिना फैसले लें। यह ज़रूरी है कि वे किसी ऐसे रोग या बीमारी से ग्रस्त हों जिससे उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो और जिससे उन्हें बुरी तरह से पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो।

मानसिक रोग या विकलाँगता से ग्रस्त व्यक्ति के बारे में क्या प्रावधान हैं?

यह उम्मीद की जाती है कि वह व्यक्ति जो केवल मानसिक रोग या विकलाँगता से ग्रस्त हो, वह सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता है। यह ज़रूरी है कि वह किसी ऐसे रोग या बीमारी से भीग्रस्त हों जिससे उनकी मृत्यु होनी निश्चित हो और जिससे उन्हें बुरी तरह से पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो।

फैसला कैसे लिया जाएगा? क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया सुरक्षित है?

यह उम्मीद की जाती है व्यक्ति के लिए दो डॉक्टरों से मुलाकात करना ज़रूरी होगा और यह ज़रूरी है कि डॉक्टर इस बात पर सहमत हों कि व्यक्ति की स्थिति कानून के अनुरूप है। डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति पर यह फैसला लेने का दबाव नहीं डाल रहा है। कभी-कभी किसी अन्य डॉक्टर से भी उनकी राय पूछी जाएगी।

व्यक्ति के पास “नहीं” कहने का अधिकार हमेशा होगा।

मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है?

यह एक सामान्य तथ्य पत्र है और इसमें सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी शामिल नहीं है।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

विचार-विमर्श संबंधी संपूर्ण दस्तावेज़ में संभावी कानून और इस बारे में कहीं अधिक जानकारी शामिल है कि यह कैसे काम कर सकता है। इसमें लोगों द्वारा सोच-विचार करने के लिए सवाल भी शामिल हैं।

विचार-विमर्श संबंधी संपूर्ण दस्तावेज़ वेबसाइट (विवरण नीचे दिए गए हैं) पर उपलब्ध है। इसके भाग सुने जा सकते हैं या इन्हें वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

मैं सरकार को अपनी राय कैसे दे सकता/सकती हूँ?

विशेषज्ञों का समूह पर्थ और WA के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन करेगा। वे विचारों का विवरण देंगे और लोगों की राय सुनेंगे।

कृपया इन बैठकों में भाग लें। बैठकों के विवरण वेबसाइट पर दिए गए हैं।

आप सवालों का जवाब वेबसाइट पर, ई-मेल करके या विशेषज्ञों के समूह को डाक द्वारा पत्र भेजकर भी दे सकते हैं। आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी बशर्ते कि आप हमें ऐसा न करने के लिए कहें।

वेबसाइट: health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying

ई-मेल: VADconsultations@health.wa.gov.au

डाक: *The Ministerial Expert Panel on Voluntary Assisted Dying*
PO Box 8172
Perth Business Centre
Perth WA 6849